



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233037
CG-DL-E-01022022-233037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943

No. 405]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/MAGHA 12, 1943

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

का.आ. 420(अ).—केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, श्री एस इकबाल सिंह लालपुरा, का त्यागपत्र, जो उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19), की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रस्तुत किया है, को दिनांक 01 फरवरी, 2022 के प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

[फा.सं. एनसीएम-11011/3/2021-पीपी-एमओएमए]

निगार फ़ातिमा हुसैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

S.O. 420(E).—The Central Government has accepted the resignation of Shri S. Iqbal Singh Lalpura, Chairperson, National Commission for Minorities, tendered by him under sub-section (2) of Section 4 of the National Commission of Minorities Act, 1992 (19 of 1992), with effect from February 01, 2022.

[F. No. NCM-11011/3/2021-PP-MoMA]

NIGAR FATIMA HUSAIN, Jt. Secy.